THE WILDLIFE (PROTECTION) AMENDMENT BILL, 2002

THE VICE CHAIRMAN (SHRI SANTOSH BAGRODIA): Now, we will take up the Wild Life (Protection) Amendment Bill, 2002.

THE MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI T.R. BAALU): Mr. Vice-Chairman, Sir, I move:

"That the Bill further to amend the Wild life (Protection) Act, 1972, be taken into consideration."

Sir, as this august House is aware, the Wildlife (Protection) Act, 1972, provides for protection of wild animals, birds and plants, management of their habitats, and regulation and control of trade in the products derived from various species of wild animals. This legislation, made three decades ago, is the testimony to our will and vision for protecting the environment and ecology.

Wildlife is the barometer of the health of the forests and holds the key for India's water resources and also for food security. More than 600 million people depend for their livelihood on forests, wetlands, grasslands and coastal areas. India's National parks and Sanctuaries are the cradles of our rivers, lakes and water resources, with nearly 300 rivers originating from there. Despite having only 2 per cent of the geographical area of the world, India takes pride in possessing 50 per cent of the global Tigers and Asiatic elephants, and 65 per cent of the one-horned Rhinos. Besides, the only surviving population of Asiatic lions are found in this country. In India, forests and protected areas play a crucial role in harbouring 8000 known medicinal plants in the wild. The demand for medicinal plants is growing, and a large proportion of India's population prefers naturopathy to allopathic medicines. This august House is aware that the quality of environment is intricately linked with the nature and the unique biological resources that have been bestowed by Mother nature. Bio-diversity conservation cannot be restricted to national parks and sanctuaries alone. Areas which are outside the network of protected area form vital ecological corridor to protect wildlife and maintain its continuity.

In 1970, there were only 65 protected areas. we have now been able to establish 587 national parks and wildlife sanctuaries in the country.

The population of important species like tigers, elephants, rhino, lion etc. has improved satisfactorily because of the sustained efforts made by the Centre as well as the States. However, a need has been felt for further strengthening the provisions pertaining to several important aspects.

During January this year, the hon. Prime Minister had released the National Wild Life Action Plan highlighting the policy and the actions to be adopted for the conservation of wildlife. The Wild Life conservation Strategy, launched by the Hon'ble Prime Minister, recognizes the fact that while wild life is important, protecting the interests of the poor and tribals, living in and around the protected areas, is also equally important. This can be achieved by maintaining cordial relationship between the people and the managers.

Mr. Vice-Chairman, Sir, with this backdrop, I now bring the important features of the proposed amendments to the attention of the hon. Members. An important provision made in this Bill seeks for creation of two new categories of protected areas, *i.e.,* "Conservation Reserve" and "Community Reserve". These reserves would preferably link the national parks and sanctuaries for the protection of wildlife and its habitat. However, they will be managed by the local community in a transparent and participatory manner involving the members of village Panchayats, NGOs, and other experts. The declaration of these two reserves aims at improving the socio-economic conditions of the people living in those areas as well as conservation of wildlife through sustainable utilization of forest produce. In addition, it is also proposed that the existing wildlife sanctuaries are managed in a participatory way with the involvement of representatives of Panchayati Raj Institutions, NGOs and other experts.

The existing provisions do not prescribe any time limit to settle the claims of the people after the notification of intent is issued in respect of national parks and sanctuaries. As a result, the objective of conservation has got a setback and several sanctuaries and national parks have been put to misuse and encroachments. It is now proposed to limit the period of settling the claims to two years.

At present, the Indian Board for Wild Life (IBWL), under the Chairmanship of hon. Prime Minister, is the highest advisory body at the National level for promoting conservation and controlling poaching through

coordinated policy and administrative measures. The Bill seeks that the National Board is given statutory status and is renamed as the National Board for Wild Life. Similarly, the State level Boards, headed by the Chief Minister of the respective State, are to be renamed as the State Board for Wild Life.

At the time of enactment of the 1972 Act, many persons who had in their possession wild animals and their derivatives belonging to Schedule I and Part II of Schedule II could not declare them within the limited period of 30 days. The proposed amendment will give them one more opportunity. Currently, persons having ownership certificates in respect of Schedule I and Part II of Schedule II animals can sell or transfer such articles. This has encouraged illegal trade in wildlife products. In order to prevent such activities, an amendment is proposed to restrict such transaction except by way of inheritance.

Poaching and illegal trade, if not controlled effectively, have the potential to nullify all achievements made so far in wildlife conservation. Stringent provisions are, therefore, proposed for forfeiture of the properties of criminals who have been convicted in the past for heinous wildlife crimes. These provisions are similar to the provisions of the Narçotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985.

Presently, the penalties for committing offences lack in severity. It is, therefore, proposed that these are enhanced from a minimum of one year to three years extendable to seven years besides doubling the fine from the existing Rs.5,000/- to Rs.10,000/-. In order to improve the intelligence gathering in wildlife crimes, the existing provisions for rewarding the informers are sought to be amended so as to enhance the reward from 20 per cent to 50 per cent, and a reward of up to Rs.10,000/- is also proposed to be given to the informant by the State Government.

Unregulated growth of zoos in the country has seriously affected the quality of zoo management. It is, therefore, proposed that no new zoo shall be established without prior approval of the Central Zoo Authority. Sale and transfer of scheduled animals by zoos will also be regulated to prevent illegal transaction.

Encroachment in the sanctuaries and national parks is a matter of serious concern for bio-diversity conservation and integrity of the area. Hence, the proposal has been made to empower the officials to evict such encroachments. Besides, some other changes of consequential and incidental nature have also been proposed in the Bill.

I hope this Bill, which seeks to further the cause of protection of wildlife of the country, is a non-controversial measure, and, hence, will find support of the House.

With these words, Sir, I beg to move for leave for consideration of Wild Life (Protection) Amendment Bill, 2002. Thank you, Sir.

The question was proposed.

डा. अबरार अहमद (राजस्थान): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं वन्य जीव संशोधन विधेयक, 2002 का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । मैं इसका इसलिए स्वागत करता हूं कि माननीय मंत्री जी इस विधेयक के माध्यम से कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें ला रहे हैं जिनकी वन्य जीवों को बचाने के लिए वास्तव में आवश्यकता थी और दो बातें जो अभी माननीय मंत्री जी ने कही हैं वे इसमें शामिल हैं । एक तो सहयोग और सहभागिता जो इस विधेयक के माध्यम से कायम करने की बात है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सहयोग के बिना, बिना जनप्रतिनिधियों के सहयोग से, बिना पंचायती राज संस्थाओं के सहयोग से, वन्य जीवों या जंगलों को बचाना बड़ा मुश्किल है। दूसरा जो आपने इसके अंदर जिस प्रकार के सजा के प्रावधान रखे हैं, दंड के जिस प्रकार के प्रावधान रखें हैं, सम्पत्ति को जब्त करने के जिस प्रकार के प्रावधान रखे हैं, अतिक्रमण को हटाने के बारे में जिस प्रकार के प्रावधान रखे हैं, वास्तव में उससे वन्य जीवों का जो लोग शिकार करते हैं या वनों को नुकसान पहुंचाते हैं, उन पर निश्चित रूप से अंकुश लगेगा । इसलिए मैं इन प्रावधानों का स्वागत करता हूं । माननीय उपसभाध्यक्ष जी, जैसा मैंने कहा कि सहयोग और सहभागिता, आज के हालात में वन्य जीवों को बचाने के लिए बहुत आवश्यक है । इस संबंध में मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि सिर्फ कानून बनाने से ही सहयोग और सहभागिता नहीं हो जाएगी, उसके अंदर आपको उसके व्यावहारिक पक्ष को भी देखना पड़ेगा। जो ग्रामीण लोग हैं, जो कि जंगलों या अभयारण्यों के आस-पास रहते हैं, उनकी समस्याओं को हम किस प्रकार से समझें और उनका निराकरण करें, कैसे हम उनको अपने आप से जोड़े, तो निश्चित रूप से उससे इन वन्य जीवों और वनों को बचाने में मदद मिलेगी । जिस प्रकार से राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड के गठन का प्रावधान है, उसी आधार पर राज्य वन्य जीव बोर्ड के गठन का प्रावधान भी इस बिल में रखा है, जिसके अंदर सभी क्षेत्रों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। वास्तव में इससे भी काफी इस दिशा के अंदर सुधार होगा । उसमें राज्य सभा और लोक सभा के सदस्य भी होंगे । जो राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड का प्रावधान है उसमें दो लोक सभा के सदस्य होंगे और एक इस सदन का सदस्य होगा । मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि एक के स्थान पर अगर इस सदन के भी दो सदस्य रखे तो ज्यादा उचित होगा, ताकि उसमें पक्ष और

प्रतिपक्ष, दोनों पक्षों के सदस्यों को उसके अंदर प्रतिनिधित्व करने का मौका मिल सके । मैं अभी जब इस संदर्भ में कुछ बातें देख रहा था, तो माननीय प्रधान मंत्री जी ने वन्य जीव बोर्ड की बैठक को संबोधित करते हुए, इसी वर्ष के प्रारंभ में जिस प्रकार के आंकड़े दिए और जैसा उन्होंने कहा कि 1994 से 1998 के बीच के 4 वर्षों के दौरान 285 बाघों और हजारों तेंदुओं की मृत्यु या हत्या हुई, तो वास्तव में यह बहुत चौंकाने वाले आंकड़े हैं । यह तो वे आंकड़े हैं जिनकी जानकारी हो गई, लेकिन बहुत से ऐसे बाघ और तेंदुए भी होंगे, जिनकी मृत्यु या हत्या का पता ही नहीं लगा होगा । माननीय प्रधान मंत्री जी ने आगे यह भी कहा कि अगर तेंदुओं की हत्या नहीं रोकी गई तो इस दशक के अंत तक भारत से तेंदुए लुप्त हो जायेंगे । यह एक अलार्मिंग सिचुएशन है । इसलिए इस दशा में इस प्रकार के कानून का बनना या इसमें संशोधन होना नितांत आवश्यक था, लेकिन उसको व्यावहारिक अमली जामा पहनाना भी बहुत जरूरी है । माननीय मंत्री जी ने भी स्वयं अभी नवंबर, 2001 में संसद् के अंदर एक स्टेटमेंट रखा था और उसमें खालों के पकड़े जाने के बारे में बताया था कि वर्ष 2000 में 39 बाघों की खालें पकड़ी गईं, 201 तेंदुओं की खालें पकड़ी गईं, 176 किलो बाघों और तेंदुओं की हड्डियां बरामद हुईं, 63 शातूष की शालें बरामद हुईं और ये तो वे खालें हैं जो कि बरामद हुईं, लेकिन इससे कितने गुणा खालें ऐसी भी होंगी जिन पर किसी सरकार की निगाह नहीं होगी, जो विदेशों में तस्करी के माध्यम से पहुंच गई होंगी । प्रधान मंत्री जी ने जो कहा, उन को अगर हम देखें कि वास्तव में इन वन्य जीवों की क्या दशा है, कहीं उन की हत्या हो रही है या जिस ढंग से उन का शिकार हो रहा है, यह बहुत ही चौंकाने वाली चीज है ।

महोदय, मैं शातूष की शालों के बारे में माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा । अभी जैसे उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति के पास अगर कोई जंगली जानवर है, तो उसे डिक्लेअर करने के लिए उस व्यक्ति को समय दिया जाएगा । तो शातूष की शालें जिन लोगों के पास पहले से ही हैं, उन को उसे डिक्लेअर करने के लिए कम-से-कम एक वर्ष या 6 महीने का समय दिया जाए । जिन लोगों के पास भी शातूष की शालें हैं, वह उसे डिक्लेअर करें, लेकिन पाबंदी लगाने के पहले जिन के पास इस प्रकार की शालें हैं, उन के लिए "पेनिक" की सिचुएशन क्रिएट न की जाए ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आप के माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह भी आग्रह करना चाहूंगा कि मैं ने इस विधेयक का स्वागत किया है, इस विधेयक के प्रावधानों को बहुत अच्छा कहा है, लेकिन मैं यह भी कहना चाहूंगा कि विधेयक या कानून सब के लिए एक-समान होना चाहिए । अगर हम कोई कानून बनाते हैं, तो उस का पालन सभी को करनी चाहिए । जो भी कानून बने, उस का कड़ाई से पालन होना चाहिए । यह नहीं कि संसद ने कानून बना दिया, हम ने भाषण दे दिया और उस के बाद उस कानून की खुले रूप से धज्जियां उड़ाई जाएं या कुछ सोसायटी के गिने-चुने लोग ही उस कानून के माध्यम से लाभ कमाएं । उपसभाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा दुख हुआ जब कुछ दिनों पहले प्रधान मंत्री जी हिमाचल प्रदेश गए मैं ने समाचार पत्र में पढ़ा था कि उन की मीटिंग के लिए पांच सौ हरे पेड़ काट दिए गए । यह खबर पढ़कर मुझे बहुत दुख हुआ। यह मीटिंग किसी और स्थान पर रखी जा सकती थी । जब हम एक ग्रामीण के लिए एक हरा पेड़ काटने के लिए सजा देने की बात करते हैं, उस के लिए कानून के प्रावधान की बात करते हैं तो हमें इस बारे में भी पूरा ध्यान रखना चाहिए । इस के अलावा अभी सदन में जिस दिन उत्तर

प्रदेश की स्थिति पर चर्चा हो रही थी, हमारे माननीय सदस्य जो कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी रहे हैं, श्री मोती लाल वोरा जी कह रहे थे कि वहां एक धिक्कार रैली हुई जिस के लिए एक हजार हरे पेड़ काट दिए गए । महोदय, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जहां हम एक ग्रामीण से या गरीब आदमी से उस कानून के पालन की उम्मीद करते हैं, हमें यह भी देखना चाहिए कि उस कानून का पालन इस देश का हर नागरिक करे । सत्ता में बैठे हुए व्यक्ति से लेकर छोटे-से-छोटा व्यक्ति भी उस कानून का सम्मान करे, यह हमें देखना चाहिए तभी हम यह अपेक्षा कर सकते हैं कि जो नीचे के तबके का व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति है, वह भी उस कानून का पालन करेगा ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं सवाई माधोपुर से ताल्लुक रखता हूं । हमारे यहां भी एक रणथंभौर टाइगर प्रोजेक्ट है जो कि दुनिया में मशहूर है और उस पर हमें गर्व है । लेकिन कभी-कभी वहां जिस प्रकार की गतिविधियां देखी जाती हैं, जिस प्रकार का कार्य वहां के अधिकारियों का देखा जाता है, उस से दुख होता है । मैं ने विभाग की सलाहकार समिति में भी यह बात रखी थी और मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने उस पर नोटिस लिया है। मैं ने एक बात उस समय भी कही थी और आज भी उसे दोहरा रहा हूं कि जब प्रेसीडेंट क्लिंटन हमारे देश आए थे तो वह सिर्फ यहां एक ही अभयारण्य देखने गए थे और वह था रणथंभौर टाइगर प्रोजेक्ट । वहां उन्होंने दो टाइगर देखे थे और उन में शायद जो सब से बड़ा था उस का नाम भन्वूराम था । वह टाइगर एक वर्ष से वहां दिखाई नहीं दे रहा है । उस के बाद जिस प्रकार की खबरें मीडिया के हवाले से आ रही हैं, दिल्ली के अंदर कुछ खालें पकड़ी गयी हैं, उन में कहा जा रहा है कि उस के अंदर भंवूराम की भी खाल पकड़ी गयी है । महोदय, मैं ने इस पर संसद में सवाल भी लगाया था और उस का जवाब यही आया कि भंवूराम कहीं-न-कहीं जिंदा है । मैं ने भी जानकारी लेनी चाही तो जवाब यही आया कि भंवूराम कहीं-न-कहीं जिंदा है, लेकिन उपसभाध्यक्ष महोदय, आखिर वह शेर है, कोई चूहा तो नहीं है । एक टाइगर जो जंगल में होता है, वहां सैकड़ों अधिकारी, कर्मचारी होते हैं, एन.जी.ओज. हैं और बीसयों देखने वाले लोग हैं जो वहां रेगुलरली जाते हैं, वह किसी को तो दिखाई देगा । मैं कहना चाहता हूं कि वह टाइगर एक साल से वहां दिखाई नहीं दे रहा हो और इस बात को इतने इजी तरीके से लेना ठीक नहीं है । महोदय, जिस शेर ने दुनिया के अंदर रणथंभौर टाइगर प्रोजेक्ट को ख्याति दिलवाई हो, उस भंवूराम की हत्या कर दी गयी हो, पोचिंग हो गयी हो, लेकिन हम यह बताने को तैयार नहीं हैं कि भंवूराम जिंदा है या मर गया है । महोदय, मैं आप के माध्यम से मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि सी.बी.आई. के माध्यम से इस बात की जांच कराई जानी चाहिए कि वह भंवूराम कहां है । मैं स्वयं माधोपुर में रहता हूं और अगर कोई टाइगर जंगल में है तो वह दो दिन नहीं दिखेगा, चार दिन नहीं दिखेगा, छः दिन नहीं दिखेगा, पंद्रह दिन नहीं दिखेगा, लेकिन निश्चित रूप से महीने, बीस दिन के अंदर वह टाइगर कहीं-न-कहीं अवश्य दिखाई देता है। फारेस्ट गार्ड को दिखता है, किसी टुरिस्ट को दिखता है, लेकिन आज जो वहां हालात है, उसको देखकर दुख होता है । आज वहां फारेस्ट माफिया चल रहा है, जो वहां के ग्रामीणों को अपना दुश्मन समझता है और चाहता है कि उनकी निगाह जंगल की तरफ नहीं जानी चाहिए, जो वहां के नागरिक हैं उसकी निगाह जंगल की तरफ नहीं जानी चाहिए क्योंकि इससे उनकी गतिविधियों पर अंकुश लगता है । यह सच है कि अगर वास्तव में कोई जंगल को बचा सकता है तो वह वहां का रहने वाला नागरिक ही बचा सकता है, वहां का ग्रामीण ही बचा सकता है । वहां

की सारी की सारी इकोनोमी उस रणथंभौर टाइगर प्रोजेक्ट पर निर्भर है और इसलिए वहां का आम आदमी यह चाहता है कि रणथंभौर टाइगर प्रोजेक्ट बचे । आज वहां कोई उद्योग-धंधे नही हैं, वहां किसी प्रकार का कारोबार नहीं है, लेकिन जो फारेस्ट माफिया है वह अच्छी तरह से जानता है कि अगर यहां के लोगों का संबंध या यहां के लोगों का संपर्क इस टाइगर प्रोजेक्ट से रहा तो उनकी गतिविधियों पर अंकुश लगता है ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह आग्रह करना चाहूंगा कि आज जो वहां के हालात हैं, उनकी गहराई से जांच कराई जाए क्योंकि रणथंभौर टाइगर प्रोजेक्ट को वहां के फारेस्ट माफिया से संबंधित लोगों ने एक आय अर्जित करने का साधन बना रखा है । मुझे जैसी जानकारी है और जैसी मीडिया से खबरे आती हैं, जैसा मैंने अभी एक अखबार मे पढ़ा, उसके अनुसार एक टाइगर की खाल या उससे बना जो भी सामान है वह अमरीका में पचास हजार डॉलर के अंदर बिकता है । इन फारेस्ट माफिया लोगों के हाथ दूर तक हैं, इनके हाथ विदेशो तक हैं, जो टाइगर का शिकार करके उसकी खाल से बने सामान को बेच कर पैसा अर्जित कर रहे हैं । इन पर आज अंकुश लगाना बहुत जरूरी है । आपने कानून बनाया, इसके लिए तो आपको बधाई, लेकिन जैसा मैंने शुरू में ही कहा, इस कानून का सख्ती से पालन होना चाहिए । यह कानून अधिकारी तथा कर्मचारी के लिए भी हो, आम आदमी, आम जनता के लिए भी एक समान हो । ऐसा नही होना चाहिए कि जो वहां के अधिकारी हैं वह इस कानून से बचे रहे । इस संबंध मे मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जो लोग इस अभयारण्य मे नौकरी करते हैं उनकी संपत्ति पर विशेष रूप से निगाह रखी जानी चाहिए । अगर कोई अधिकारी दस हजार या पन्द्रह हजार रुपए मासिक तनख्वाह पाता है और अभयारण्य में नौकरी करता है, अगर उसके पास लाखो, करोड़ों की प्रोपर्टी बन जाती है, तो देखा जाना चाहिए कि वह पैसा कहां से आता है ? इस पर निगाह रखी जानी चाहिए क्योंकि कहीं न कहीं इस प्रकार के हाथ उससे जुड़े होते हैं, जिससे उस अभयारण्य को नुकसान पहुंचा कर ऐसा पैसा कमाते हैं।

उपसभाध्यक्ष महोदय, सरकार ने अभयारण्य के आसपास, न सिर्फ सवाई माधोपुर या रणथंभौर बल्कि सभी अभयारण्यों के आसपास ग्रामीणों को फायदा पहुंचाने के लिए एक इको-डवलपमेंट की योजना चलाई है । इसके लिए तो मैं बधाई देता हूँ क्योंकि यह एक बहुत अच्छी योजना है, लेकिन जो सरकार की मंशा है या जन-प्रतिनिधियों की जो मंशा है वह पूरी नहीं हो रही है क्योंकि जो पैसा सरकार की ओर से उन लोगो की मदद के लिए जाता है या अभयारण्य के आसपास रहने वाले लोगों को होने वाले नुकसान की पूर्ति के लिए जाता है, जिससे आसपास चारा उगा दिया जाए, सड़क बना दी जाए, आसपास रहने वालों के लिए नाली बना दी जाए, छोटा मोटा रोजगार दे दिया जाए, ऐसा कुछ नही हो रहा है बल्कि यह करोड़ों रुपया या तो खर्च ही नहीं होता और अगर खर्च होता है तो आधे से अधिक भ्रष्टाचार के माध्यम से लोगों की जेबों में पहुंच जाता है । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि इको-डवलपमेंट की जो योजना है, उसके लिए जो पैसा जा रहा है वह वास्तव मे उन गरीब लोगों तक पहुंचे, जिनके पास अभयारण्य के कारण चराई के साधन नहीं हैं, जो बेहाल रह रहे हैं, जिनके पास रोजगार नही है ताकि हमारी जो मंशा है उसकी इस रूप में पूर्ति हो सके । इसके साथ ही साथ मैं यह भी अनुरोध करना चाहूंगा कि जहां जहां अभयारण्य हैं, वहां डीमार्केशन की प्रोब्लम आती है । कोर एरिया और बफर एरिया, इनके बीच में डीमार्केशन नहीं होती है, जिससे जो

बेचारे अनपढ़ ग्रामीण लोग होते हैं वे अपने पशुओं को चराने के लिए भटकते रहते हैं । उनको बफर जोन में चराई एलाऊ रहती है, लेकिन जानकारी न होने के कारण कई बार कोर एरिए में पहुंच जाते हैं । इसलिए जहां अभयारण्य में डीमार्केशन नहीं है वहां डीमार्केशन कराई जाए ताकि इस प्रकार की जो कन्फ्रंटेशन होती हैं या इस प्रकार की जो परेशानियां आती हैं या संघर्ष होते हैं, उनसे बचा जा सके ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, खासतौर से अभयारण्य के आसपास या जहां जहां अभयारण्य हैं, वहां बहुत सारे एनजीओ काम कर रहे हैं । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि जो भी एनजीओ हैं, उनमें बहुत सारे एनजीओ तो बहुत अच्छा काम भी करते हैं, लेकिन मैंने जैसा अनुभव किया, जैसा मैंने सवाई माधोपुर, रणथंभौर अभयारण्य के आसपास देखा, वहां यह एनजीओ एनजीओ के नाम से राज्य सरकार से जमीन हड़पते हैं या विदेशों से यह दुनिया भर के अनुदान लेकर करोड़ों करोड़ रुपया कमा रहे हैं, लेकिन वहां की जनता के लिए पांच पैसे भी खर्च नहीं करते हैं । तो जहां एन.जी.ओ. का नाम पालकर उन्होंने उसे अपनी आजीविका का बड़ा अच्छा साधन या रुपया कमाने का साधन बना लिया, उस चीज पर अंकुश होना चाहिए, उसकी गहराई से जांच होनी चाहिए और ऐसी गतिविधियों पर पाबंदी लगनी चाहिए।

उपसभाध्यक्ष महोदय, आज अकाल के हालात में जहां-जहां भी हमारे अभयारण्य हैं और जहां पानी तेज़ी से सूख रहा है, उन पर आप विशेष ध्यान दें । मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं दो दिन पहले ही सवाई माधोपुर के रणथंभौर टाइगर प्रोजेक्ट की हालत देखकर आया हूं कि किस प्रकार से वहां पानी तेजी से सूख रहा है और अगर हमने वहां पर ध्यान नहीं दिया तो जिन अभयारण्य को हम बचाने की बात कर रहे हैं, हम शिकारियों से तो उन्हें बचा लेंगे, हम पोचिंग से तो उन्हें बचा लेंगे, कानून बनाकर बचा लेंगे लेकिन भगवान ने जो मार दी है, उससे हम उन्हें नहीं बचा पाएंगे । अकाल के कारण जो ताल-तलैया वहां 50 साल में सूखे नहीं देखे गए थे, वे आज सूख गए हैं, इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि मई-जून में वहां की हालत क्या होगी । वहां जानवर या तो तड़प-तड़प कर मर जाएंगे या जंगल छोड़कर शहरों में आएंगे, जहां कुत्ते और जानवर उनके पीछे भागेंगे । तो जहां इस प्रकार की पानी की स्थिति है, उन अभयारण्यों में और विशेषकर रणथंबोर टाइगर प्रोजेक्ट में आप तत्काल ध्यान दें और जिस प्रकार से हम वन्य जीव को और तरीकों से बचाने की सोच रहे हैं, उसी प्रकार इस अकाल में हम उन्हें पीने का पानी उपलब्ध कराकर कैसे उन्हें बचा सकें, इस पर ध्यान दें, यह एक बहुत आवश्यक बात है । ..**(समय की घंटी)**.. मैं बहुत ही संक्षेप में कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा ।

उपसभाध्यक्ष (श्री संतोष बागड़ोदिया) : अंतिम बात ।

डा. अबरार अहमद : मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बिन्दु की ओर मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया । हम सब उसका पालन करते हैं, करना चाहिए, यह हमारा दायित्व बनता है, फर्ज़ बनता है । लेकिन मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि पूरी अरावली पर्वत श्रंखला के अंदर खनन् कार्य बंद करने का आदेश है । उस आदेश का सब पालन करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मैं

चाहता हूं कि सरकार यह देखे कि उसका लोगो पर तत्काल क्या प्रभाव पड़ेगा ? कितने लाखो-लाख लोग किन-किन राज्यो मे उससे बेरोजगार होने वाले हैं, जहां अकाल की स्थिति है, भूख की स्थिति है और उन लोगों के रोजगार के बारे मे सरकार क्या करने जा रही है ? जो पत्थर यहां से मिलता था, उसकी वैकल्पिक व्यवस्था क्या है और किस प्रकार से उस आदेश का क्या रिप्रकशन होने जा रहा है ? और भी जो इस प्रकार के आदेश आए हैं, उनका पूरा सम्मान करते हुए केन्द्र सरकार को फौरन चाहिए कि उनका पूरा अध्ययन करे और उनके बारे मे फौरन इस संसद में एक बिल लाया जाए, जिस प्रकार से एक जनप्रतिनिधि के चुनाव लड़ने के बारे में जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था तो फौरन इस संसद ने कानून बनाया था और एक बिल लाए थे, उसी तरह से आज उस गरीब की दो टाइम की रोटी छिन रही है, जो उस खनन् कार्य मे मज़दूरी करता था, जो पहाड़ को खोदता था, जो मिट्टी सर पर उठाता था, आज उस आदेश के कारण लाखो-लाख लोग बेरोज़गार हो गए हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि उसके बारे मे सरकार सोचे और यह देखे कि किस प्रकार से उनके व्यावहारिक पक्ष को रखते हुए एक कानून बनाकर उन लोगो को राहत दी जाए, सरकार उनके लिए वैकल्पिक मज़दूरी की व्यवस्था करवाए और जो कोमोडिटी यहां मिल रही थी, उसकी व्यवस्था करवाए । सरकार इस बारे मे बिना देरी किए हुए कानून बनाने के बारे में सोचे और यह देखे कि उन लोगों को कैसे राहत पहुंचाई जा सके और जो भी इस प्रकार के माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश आए हैं, उनका पालन करते हुए कैसे हम उन लोगो को राहत दे सकें, जो उससे हर्ट हुए हैं या बेरोजगार हुए हैं और उस चीज से ग्रामीण क्षेत्रों मे जो प्रभाव पड़ा है, उसके बारे में कुछ सोचे ।

उपसभाध्यक्ष (श्री संतोष बागड़ोदिया) : अबरार जी, अब आप समाप्त करिए । आपने बहुत समय ले लिया है ।

डा. अबरार अहमद : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के इस बिल का समर्थन करता हूं और जो प्रावधान इसमें सहयोग और सहभागिता के किए गए हैं, उनका समर्थन करते हुए कहना चाहता हूं कि जो बातें मैंने कही वन्य जीवो को बचाने के लिए, जहां-जहां शिकार हो रहे हैं और खास तौर से मैं सवाई माधोपुर के रणथंभौर टाइगर प्रोजेक्ट मे जो शिकार हो रहा है, इस बारे में विशेष रूप से देखे, विचार करे और "भंवूराम", जिसने विश्व विख्यात, ख्याति प्राप्त रणथंभौर टाइगर प्रोजेक्ट को और ख्याति दिलाई, उसकी आप सी0बी0आई0 से जांच कराएं और जो अधिकारी यह कहकर सरकार को भ्रमित कर रहे हैं वह जिंदा है, उनसे कहा जाए कि या तो वे उसे जिंदा बताएं वरना उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए । धन्यवाद।

उपसभाध्यक्ष (श्री संतोष बागड़ोदिया) : श्री कृपाल परमार । परमार जी, आपके पास 11 मिनट का समय है ।

श्री कृपाल परमार (हिमाचल प्रदेश): माननीय उपसभाध्यक्ष जी, सदियों से वन्य प्राणियों और आदमियों के बीच चल रही कश-म-कश रुकते हुए, थमते हुए नज़र नहीं आ रही । वन्य प्राणियों का कभी आत्मरक्षा के नाम पर, कभी पेट की भूख के नाम और कभी शौकिया, सलमान खान की तरह शौक के नाम पर, लगातार मरना जारी है, शिकार जारी है और आदिकाल से

चला सिलसिला आज तक निरंतर जारी है, बढ़ता जा रहा है । जैसे-जैसे हथियारों का चलन बढ़ा, वन्य प्राणियों पर कहर टूटता गया । जिस तरीके से पिछली कई सदियों से वन्य प्राणियों पर अत्याचार और उनका शिकार होता आया है, उससे इस सच्चाई की पुष्टि होती है । मानव की आंख उस वक्त खुली, जब उसे लगा कि वन्य जीव भी हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि हम स्वयं। जब ecological balance खराब होने लगा तो इस तरह के कानून को बनाने की जरूरत महसूस हुई । अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानून बनने के बाद, आज से 30 वर्ष पूर्व 1972 में यह कानून बना लेकिन जो कानून बना, उसके प्रावधान इतने लचीले थे कि दोषी व्यक्ति शिकार करके पकड़े जाने के बाद भी बचकर निकल जाते थे । उसका ताजा उदाहरण यह है कि राजस्थान में दुर्लभ प्रजाति के हिरनों का शिकार करके सलमान खान के पकड़े जाने के बाद भी आज तक उसको सज़ा नहीं हुई है और हमारा जो कानून है और उसे जिस प्रकार से राज्य सरकार का संरक्षण प्राप्त है, उसके कारण मुझे नहीं लगता कि उसे कोई सज़ा हो पाएगी ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, 30 साल के अंतराल में यह बात देखने में आई कि जो कानून वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए बने हैं, वे पूर्ण नहीं हैं, उनमें कुछ संशोधनों की जरूरत है। इसके लिए माननीय मंत्री जी यह संशोधन विधेयक लेकर आज सदन के सामने आए हैं, मैं इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं ।

महोदय, इस विधेयक में धारा 58 (द) में सिविल प्रक्रिया संहिता की जो ताकतें वन्य अधिकारियों को दी गई हैं, वे काबिले तारीफ हैं । मैं इनका समर्थन करता हूं । मेरा मानना है कि जब तक जंगलों के आसपास रहने वाले लोगों का सहयोग इसमें नहीं मिलेगा, तब तक इस कानून को कभी भी सही ढंग से लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि बेजुबान जीव-जंतु न तो FIR दर्ज़ करवाने के लिए आते हैं, न ही वे गवाही दे पाते हैं । इसलिए इस विधेयक में धारा 60 (ख) में अपराध का पता लगाने और अपराधी को पकड़वाने में मदद करने वाले लोगों के लिए इनाम का जो प्रावधान रखा है और स्थानीय लोगों तथा पंचायत के लोगों को इस काम में लगाने का जो प्रावधान रखा है, वह सराहनीय है । मुझे लगता है कि इस तरह से लोगों की सहभागिता से इस कानून को लागू करने में सफलता मिलेगी ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं हिमाचल का रहने वाला हूं । जंगलों के पास की आबादी और वहां पर जो खेती योग्य भूमि है, उस पर लोगों के आपसी विवाद हैं और स्थानीय स्तर पर भी कुछ समस्याएं हैं । वहां पर बंदरों और सूअरों द्वारा फसलों को खराब करने का सिलसिला पिछले कई सालों से जारी है । मैं चाहता हूं कि जंगलों के साथ लगे हुए जो इलाके हैं, वहां के लोगों की फसलों की रक्षा करने का कोई प्रावधान इस बिल में आए और माननीय मंत्री जी इसके बारे में कोई प्रावधान करें । इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का स्वागत करता हूं और समर्थन करता हूं । धन्यवाद ।

SHRI K. RAMA MOHANA RAO (Andhra Pradesh): I thank you, Mr. Vice-Chairman, for having given me an opportunity to speak on this piece of legislation which, if not implemented seriously, will have an adverse impact on the biological, environmental and ecological systems of the country. I

support the objectives with which the Government has moved the amendments to the Wild Life Act, 1972. While extending my support, and the support of my party, to this Bill, I have some points to make, with your permission.

As the House is very much aware, our country is endowed with a wide variety of fauna and flora. It is also, I think, known to us that there is no other country in the world, which has got the amount of natural wealth and biodiversity that we have. With a forest cover of about 19 per cent, we are home to 372 mammals, 1,228 birds, 428 reptiles, 204 amphibians, 2,546 fish, 57,245 insects and other species of invertebrates.

In the very beginning of the Bill, you are saying:

> "It shall come into force on such date as the Central Government may appoint, and different dates may be appointed for different provisions of the Act."

This one single sentence is enough to show that the Government is not serious at all in implementing this legislation immediately. The Government is also not intending to notify all the provisions of the Bill at one go. It says that it will implement different provisions on different dates. I fail to understand the rationale behind this phrase. What is the problem in implementing the Bill at one go? The hon. Minister may kindly explain.

In clause 2, you are proposing to modify the long title. Here, I want to make a suggestion. Through this, you want to ensure the ecological and environmental security of the country but not the biological security, which is the very basis of living organisms. So, I suggest adding the word "biological", in line 10, after the words "the ecological."

Clause 3 seeks to amend section 2 of the parent Act. In the long title, you have expressed your wish to protect the wild animals, birds and plants. But there is no definition in clause 3 for the word 'plant'. I fail to understand why the hon. Minister has not defined the word 'plant'. I request him to explain this point. In the same way, in the proposed clause 3 (l) of section 2, you have defined the word 'animal', and included mammals, birds, reptiles, amphibians and fish. Here, I would like to point out that there are so many aquatic animals which are endangered for example, sea-horse, sea-corals, mollusks, hawks, bill turtle, etc. Hence, I

request that the words 'aquatic animals' be included in the definition of 'animals'.

Sir, the Inter-State Committee constituted by the Central Government gave its Report way back in 1995. And, the Report of the Committee was considered by the Indian Board for Wildlife, and they recommended amendments to the Wildlife Act, 1972, which are before this august House. It took 7 years to give shape to this small piece of legislation. If we move at this pace, leave alone conserving the wildlife, we cannot even dream of increasing the population of the endangered species in the country.

The hon. Minister is substituting sub-clause (bb) of sub-Section (1) of Section 4 of the Act. I absolutely find no reason for this substitution. The original sub-clause (bb) is crystal clear. It provides one honorary Wildlife Warden in each district. Now, you are substituting it with "Honorary Wildlife Wardens." I think the existing sub-clause is better than the proposed clause because, according to the present clause, you may have two or three Wildlife Wardens in a district, and you may not have a single Warden in other districts. Hence, it is better to retain the original clause. I also suggest that the Honorary Wildlife Wardens should be from the local area, and they should be experts either in conservation or ecology or environment.

Coming to clause 6 of the Bill, I would like the hon. Minister to justify for the inclusion of the Chief of Army Staff, the Secretary, Ministry of Defence, and the Secretary, Ministry of I&B. I can understand if the Chief of the Navy is there on the Board, because you have so many endangered species in the sea. Same is the case with regard to the State Board for Wildlife. I would like the hon. Minister to explain the reasons behind including the above people.

Sir, it is not out of place to mention here that the Government of Andhra Pradesh, under the leadership of Shri N. Chandrababu Naidu, is doing all it can for the conservation of wildlife, sanctuaries and national parks. I am not exaggerating when I say that the Joint Forest Management of the State of A.P. has been acknowledged as the best in South-East Asia. The hon. Minister is also very well aware that the forest cover in A.P. has gone up by 939 square kilometres.

We have been listening for the last one year that the Government is going to set up a wildlife crime intelligence cell, within the CBI. But so far, I think, nothing has been done in this direction. I request the hon. Minister to seriously think over it and immediately set up a cell in the CBI.

With these words, and, in anticipation of getting categorical replies from the hon. Minister, I conclude my speech. Thank you.

उपसभाध्यक्ष (श्री संतोष बागड़ोदिया): श्रीमती चन्द्रकला पांडे। आपके पास तीन मिनट का समय है।

श्रीमती चन्द्रकला पांडे (पश्चिमी बंगाल): माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं तीन मिनट से ज्यादा समय नहीं लूंगी। उपसभाध्यक्ष महोदय, मेरे पूर्ववक्ता ने जैसा कहा कि भारतवर्ष जैविक संपदा की दृष्टि से एक श्रेष्ठतम देश है। इस देश की जैविक संपदा को बचाना इस देश के नागरिकों का और सरकार का एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए। हमारे देश मे एक तरफ तो जोर-शोर से वृक्षारोपण का उद्घोष किया जाता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वृक्षों को कागजों पर ही रोप दिया जाता है या अगर वृक्ष रोप भी दिए जाते हैं तो उनकी उचित देखरेख नही की जाती है। कभी-कभी तो किसी विशिष्ट व्यक्ति के आगमन, स्वागत-सत्कार की स्थिति में जंगलों को काट दिया जाता है, जैसा कि हमारे पूर्ववक्ता ने भी कहा है। इसकी तरफ भी सरकार का ध्यान जाना चाहिए।

वन्य जीवो के बारे मे बात आई और आदतन जो वन्य हैं, उनको बचाने की कोशिश की जानी चाहिए। मैं यहां पर यह पूछना चाहूंगी कि जो जंगल मे रहते हैं, पशु नहीं हैं, उनकी आदतें भी वन्य नहीं हैं, लेकिन जो उनसे भी अधिक हिंसा का आचरण करते हैं, उनके बारे मे सरकार क्या सोचेगी ?

शहरीकरण जिस रफ्तार से बढ रहा है, वृक्ष कटते जा रहे हैं, हरे-भरे प्राकृतिक परिवेश का स्थान कंक्रीट के जंगल ले रहे हैं और पूरा का पूरा पर्यावरण बदलता जा रहा है। मैं आज सुबह ट्रेन से आई तो मैंने देखा कि मेरे घर के आंगन मे एक आम का पेड़ है, उस पर पांच बंदर बैठे हुए हैं। उन बंदरों को लग रहा है कि उन्हें जंगलों में जगह नहीं मिली है, वैसे सुना था कि दिल्ली मे वे घर-घर घूम रहे हैं, लेकिन अगर वे घरों में आश्रय लेने लगेंगे, तो उनके लिए सुरक्षित आवास की व्यवस्था करना इस बिल के अन्तर्गत आ जाता है। जो बंदर घरों में आकर बैठ रहे हैं, कृपया उन्हें ले जाकर सुरक्षित स्थान पर प्रेमपूर्वक रखा जाए। ...**(व्यवधान)**...

श्री सतीश प्रधान (महाराष्ट्र): संसद भवन मे भी हैं। ...**(व्यवधान)**...

श्रीमती चन्द्रकला पांडे : बंदर बहुत जगह पर हैं। बंदर घर के अंदर आ-जा रहे हैं। ...**(व्यवधान)**... इसी तरह हमारे यहां पश्चिम बंगाल में बांकुड़ा के पार्श्ववर्ती इलाके में बहुत तेजी

से आसपास के प्रदेशों से हाथियों का आक्रमण बढ़ गया है, वे चले आते हैं और गांव वाले उनसे बहुत ही त्रस्त हो जाते हैं, उसके लिए मैं मंत्री महोदय से मांग करना चाहूंगी कि स्टेट गवर्नमेंट को अधिक राशि दी जाए जिससे कि वे उसके प्रबंधन का उपाय कर सकें।

आज एक तरफ यह बिल लाया गया है कि वन्य जीवों को बचाना है और दूसरी तरफ हम देखते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं या हमारे मंत्री महोदय जवाब देते हैं कि इतने हजार तेंदुए मरे, इतने लाख पक्षी झुलस गए, सौ बाघ मर गए, इतनी खालें पकड़ी गईं और अगर यही हाल रहा तो कुछ वर्षों में ये सारे विलुप्त हो जायेंगे। कुछ दिन पहले एक अखबार में पढ़ा कि राजाजी पार्क में दो हाथियों को बड़े ही हिंसक रूप में मारकर उनके दांत निकालकर तस्कर ले गए थे। तस्करों का सुराग देने वालों के लिए इनाम घोषित किया गया, लेकिन उन तस्करों को पकड़ेगा कौन? इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा माफिया तंत्र है। जहरीला गेहूं खाकर दर्जनों मोर अलवर में, मध्य प्रदेश में मर जाते हैं, लेकिन उन्हें किसने जहरीला गेहूं खिलाकर मारा, यह किसकी चाल है और उनके पंख लेने के लिए कौन ऐसा कर रहा है? इसकी जांच होनी चाहिए। इनके बारे में बता दिया जाता है कि ये भूख-प्यास से मर गए, लेकिन वास्तव में यह भी शिकारियों की चाल होती है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, यह जो वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2002 लाया गया है, यह बहुत ही प्रासंगिक है। मैं इसका समर्थन करना चाहूंगी, इस विश्वास के साथ कि इस अबाध रूप से बढ़ती जंगल सम्पत्ति की तस्करी पर नियंत्रण रखा जा सकेगा और यह बिल उसमें सक्षम होगा।

उपसभाध्यक्ष महोदय, हमारे देश की संस्कृति बड़ी ही संवेदनशील है। इसमें मनुष्य-मनुष्य के बीच में नहीं, पशु-पक्षियों के और मनुष्यों के बीच भी बड़ी ही अंतरंगता का दर्शन हमारे नीति-ग्रंथों में मिलता है, धर्म-ग्रंथों में मिलता है, शास्त्रों में मिलता है। ..**(समय की घंटी..)** सर, इतना ही समय था ?

उपसभाध्यक्ष (श्री संतोष बागड़ोदिया) : इतना ही समय था। आपको बोलते हुए चार मिनट हो गए हैं, फिर भी आप बोलिए।

श्रीमती चन्द्रकला पांडे : उपसभाध्यक्ष जी, रामचरित मानस में तुलसीदास जी ने सीताहरण के प्रसंग में राम को पक्षियों से बात करते हुए दिखाया है, आपने भी पढ़ा होगा, "हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी।" इस तरह जीव-जंतुओं से अत्यंत आत्मीयता और अंतरंगता के साथ इस देश की संस्कृति आगे बढ़ती रही है, लेकिन मनुष्य ने अपना घर-द्वार सजाने के लिए पशुओं को मारकर उनकी खालों से, खासकर जमींदारों और भूस्वामियों ने, हिरणों, बारहसिंहों, शेरों के सिंहों और खालों से अपने घरों को सुसज्जित किया। कस्तूरी की तलाश करके स्वयं को सुसज्जित किया। आज तो यह अवैध व्यापार के रूप में हमारे सामने आ गया है। बड़े-बड़े माफ़िया और ठेकेदार हैं जो अपना व्यवसाय चमकाने के लिए कुछ आदिवासियों का सहारा लेते हैं और उन्हें कहते हैं कि वे जंगलों से क़ीमती लकड़ियां काटकर ले आएं । पकड़े वे लोग जाते हैं और उसके पीछे जो पूरा तंत्र है, वह समझ में नहीं आता है । मैं

सरकार से अपील करना चाहती हूं कि वह बहुत ही गहराई से इसके बारे में सोचे । अंत में मैं अपनी लिखी हुई एक कविता सुनाना चाहूँगी :

"पीपल पाकड़ बरगद उदास,
काटने वाले हाथ हैं तैयार,
फूलों फलों शाखाओं पर बसा,
इंद्रधनुषी पक्षियों का उसका संसार
उजड़ जाएगा कल ही,
हैरान परेशान परिंदे,
यूकलिप्टस की गंध भरी,
छायाहीन डालियां ।
किसी काम की नही उसके,
गुमसुम उदास हो रहे सारे परिंदे परेशान,
कहां जाएं, कहां घर बसाएं ।"

उन परिंदों, उन पक्षियो को इन सारी परेशानियों से बचाने के लिए यह जो बिल लाया गया है, मैं उसका समर्थन करती हूं । धन्यवाद ।

उपसभाध्यक्ष (श्री संतोष बागड़ोदिया) : आप तो केवल कविता ही पढ़ देती तो सब बात हो जाती । श्रीमती सरोज दुबे । आपके पास केवल दो मिनट हैं ।

श्रीमती सरोज दुबे (बिहार) : सर, यही समस्या हो जाती है कि दो मिनट मे क्या कहे, क्या न कहे । मान्यवर, मैं वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक-2002 का स्वागत करती हूं क्योंकि इस बिल के माध्यम से माननीय मंत्री जी ने जो प्रावधान रखे हैं, वह बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और लगता है कि वन्य जीवो के संरक्षण के संबंध में सरकार की मंशा इस बार कुछ ठीक है। जिस तरह से उन्होने अवैध शिकार करने वालो की संपत्ति कुर्क करने का, बोर्ड का रिन्यूअल करने का तथा जिला पंचायतो और तमाम संगठनों को अपने साथ जोड़कर चलाने का जो प्रावधान रखा है, उससे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों मे आप हमारे वन्य जीवो की सुरक्षा में कोई नया योगदान ये दे पाएंगे । पिछले तीन सालो मे वन्य जीवो के अपराधो मे निरंतर वृद्धि होती चली जा रही है जो हमारे लिए चिंता का विषय है । सरकारी आंकड़ो में दर्शाया गया है कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम-1972 के तहत सभी प्रकार के प्रतिबंधों के होने के बावजूद भी दो हजार के दौरान बाघ और तेंदुओ की खालें बड़ी मात्रा मे पायी गयी हैं जो इस बात को साबित करती हैं कि वर्तमान कानून वन्य जीवो के संरक्षण करने मे पूरे तौर पर सक्षम नही है इसलिए इसमें संशोधन लाया जाना अत्यंत आवश्यक था । संसद में पिछली बार जो आंकड़े पेश किये गये थे, उसके अनुसार 29 बाघ और 201 तेंदुओं की खाल पायी गयी थी और कम से कम 1000 तेंदुओं की मृत्यु हो गयी । इसके अतिरिक्त तेंदुए और बाघ की 176 किलो हड्डियां पाई गयी हैं । इस प्रकार से अगर हमारे यहां उनकी हत्याओं को नहीं रोका गया तो धीरे-धीरे बहुत सी प्रजातियां लुप्त हो जाएंगी । महोदय, यह सभी जानते हैं कि जो वन्य जीव हैं, उनका पर्यावरण के संतुलन में कितना महत्वपूर्ण योगदान है । इसलिए आपको, वन्य जीवन पर जो खतरे मंडरा रहे हैं, जो खतरे का संकेत दे रहे हैं, इससे निपटने के लिए कड़े कदम उठाने पड़ेगे । केवल कानून लाने

से ही काम नही बनेगा, उसका इम्प्लीमेंटेशन होना बहुत जरूरी है । आसाम के राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीव अभयारण्यों मे गैंडा तथा अन्य जीव जंतुओं की हत्या बहुत तेजी पर है और 498 गैंडा इस समय तक मारे जा चुके हैं । पुलिस और वन अधिकारियों की मिली-भगत के कारण इस प्रकार के शिकार हो रहे हैं । अभी जैसा की श्रीमती पांडे ने बताया कि हाथियों की निर्मम हत्या करके उनके कीमती दांत निकालकर तस्करो ने ले लिए । इस तरह जो मोर मारे गये, आप जानते हैं कि किसी ने मुरैना जिले के पास उन्हें जहरीला गेहूं खिला दिया और वे मर गये । फिर उनके पंख और उपयोगी चीजें उन्होंने निकाल ली । इसी प्रकार सरिस्का के बारे में है । इतना बड़ा विश्व प्रसिद्धि प्राप्त करने वाला जो अभयारण्य है, उसमें गर्मी के दिन आते आते पशु पक्षी प्यास के कारण तड़पने लगते रहते हैं और उसके लिए न जाने कितना पैसा सैंक्शन किया जाता है। वहां टाइगर प्रोजैक्ट भी चल रहा है लेकिन अफसोस की बात यह है कि वहां के पशु पक्षी पानी के लिए तड़पते रहते हैं और कितने ही दम तोड़ देते हैं, सरकारी आंकड़ो मे वे आते ही नहीं हैं । आपको याद होगा कि पिछली बार वहां के अधिकारियो और डाक्टरों की लापरवाही से कितने बाघों को हमें खोना पड़ा था, यह सब बड़े अफसोस की बात है और चिंता का विषय भी है । इसके साथ ही साथ मैं यह भी बताना चाहती हूं कि केवल वन्य विभाग या पुलिस इस अवैध शिकार को नही रोक सकती है । आपको इसके लिए आस-पास के आदिवासियों को जोड़ना पड़ेगा। ....**(समय की घंटी)**...

उपसभाध्यक्ष (श्री संतोष बागड़ोदिया) : चार मिनट हो गए हैं, आपका दो मिनट का समय था।

श्रीमती सरोज दुबे : जो आस-पास के आदिवासी हैं, ट्राइबल्स हैं उनको भी साथ लगाना पड़ेगा। यह सभी का मानना है कि उन आदिवासियों में बिना पढ़ी-लिखी महिलाओं को भी वहां की जैविक संपदा के बारे में जितना ज्ञान है उतना ज्ञान बाहर के लोगों को नहीं है। वन अधिकारी पचास किलोमीटर दूर शहर में रहते हैं। वहां पर जो अवैध शिकार होता है उसको वन अधिकारी नहीं रोक सकते बल्कि आस-पास के आदिवासी ही उसको रोक सकते हैं। बहुत से लोगों की धार्मिक भवनाएं इससे जुड़ी हैं और हरा पेड़ काटना पाप मानते हैं। विश्नोई समुदाय के लोग न तो शिकार करते हैं और न किसी को करने देते हैं। इसलिए आपको इसके साथ उन लोगों को भी वनों की रक्षा के लिए जोड़ना पड़ेगा। आपने पंचायत को जोड़ने की बात कही है और एनजीओज को भी जोड़ने की बात कही है। क्योंकि बहुत दूर रहकर किसी भी प्रकार से इसका सुधार नहीं हो सकता है। मैं आप से यह भी कहना चाहूंगी कि देश में बहुत से नेशनल पार्क हैं जैसे जिम कार्बेट पार्क है, वहां पर इतने विशिष्ट अतिथि जाते हैं कि जानवरों का एकांत भंग हो जाता है, उनका जीना दूभर हो जाता है और उनको बड़ी परेशानी हो जाती है। इस पर भी रोक लगानी चाहिए उनकी देखभाल करने वाले नियमों को तोड़-मरोड़कर अपने विशिष्ट अतिथियों का मनोरंजन करते हैं। मंत्री जी ने एक बात और कही थी कि इसमे चिड़ियाघर की व्यवस्था भी आती है। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर बंटाना चाहूंगी कि दिल्ली में जो राष्ट्रीय प्राणी उद्यान हैं, जो चिड़ियाघर हैं आज कल वहां पर चौकीदार लोग ही बाघो की देखभाल कर रहे हैं। वहां पर असली प्रशिक्षण प्राप्त कर्मचारियों की कमी हो गई है। नियम यह है कि एक बाघ की देखभाल में अगर बीट पर एक आदमी अंदर जाता है तो तीन आदमी वहां पर सतर्कता के साथ खड़े रहते हैं। अब यह होता है कि एक आदमी अंदर जाता है और उसकी

सुरक्षा के लिए अन्य आदमियों की व्यवस्था नहीं है। अगर इस तरह से कर्मचारियों की कमी होगी तो बाघ और शेर के स्वास्थ्य की देखभाल कौन करेगा।....**(समय की घंटी)**...

उपसभाध्यक्ष (श्री संतोष बागड़ोदिया) : 6 मिनट हो गए हैं।

श्रीमती सरोज दुबे : सर, अभी खत्म करती हूं। अनट्रेंड लोग, चौकीदार इन खूंखार जानवरों की देखभाल कर रहे हैं। इससे उनकी सेहत पर भी फर्क पड़ रहा है और चौकीदारों के जीवन को भी खतरा पैदा हो रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगी कि एक बार व्यापक तौर पर विचार करें और यह देखें कि किसी तरह से अवैध शिकार न हों और अभयारण्यों में जरूरत के हिसाब से डाक्टर, चौकीदार आदि रखने होते हैं, वे भी रखें। अगर चौकीदार की भी संख्या कम होती है तो बड़ा नुकसान हो जाता है। जानवरों को भी खतरा हो जाता है। साथ ही साथ हमारी जड़ी-बूटियों की चोरी होने से भी बड़ा नुकसान होता है। आप जो यह बिल लाए हैं मैं इसका तहेदिल से स्वागत करती हूं और आपसे आग्रह करती हूं कि इसका क्रियान्वयन सख्ती से करें और बड़ी सतर्क निगाह के साथ, बड़े कदमों के साथ इसको नियंत्रित करें ताकि हमारे देश का वन्य जीवन सुरक्षित हो सके और पर्यावरण भी संतुलित रह सके।

श्री सतीश प्रधान : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं और आदरणीय मंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूं कि वे यह बिल लाए। मैं इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको दो-तीन सुझाव भी देना चाहता हूं। आप इस विषय पर जरा गौर से देखें। मैं सदन से भी कहना चाहूंगा कि वह भी इस पर जरा गौर से सोचे। हम सबने यहां पर वन्य प्राणियों, पशु-पक्षियों के शिकार होने से बचने के बारे में बातें कहीं हैं। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, वह मुम्बई के ठाणे जिले में से है। वहां भी यह सवाल खड़ा हो गया है। वहां एक अभयारण्य है। उस अभयारण्य में शेर को ठीक से खाना नहीं मिलता है। अब शेर नागरिक बस्ती में आने शुरू हो गए हैं विशेषकर जहां पर आदिवासी लोग रहते हैं। बाहर सोए हुए बच्चों और औरतों के ऊपर हमला करता है। उनको लेकर भाग जाते हैं, खत्म कर देते हैं । उनका उपयोग खाने के लिए किया जाता है । गए छह सालों में, इन सभी क्षेत्रों में करीबन इस तरह की सौ हत्याएं हुई हैं । मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस विषय पर गौर से सोचने के लिए इसलिए खींचना चाहता हूं क्योंकि जिस प्रकार से हम पशु-पक्षियों की हत्या रोकें, उसी प्रकार से हमें आदमी और वहां रहने वाले आदिवासियों की सुरक्षा का ख्याल रखने की भी आवश्यकता है । इस विषय पर आप गौर से विचार कीजिए ।

मेरी जो दूसरी बात है वह इको जोन के बारे में है । यहां पर्यावरण और जोन के बारे में बात कही गई । मैं जिस क्षेत्र से आता हूं उस क्षेत्र के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश निकाला है । यह माथेरान को इको जोन बनाने के सिलसिले में है। उपसभाध्यक्ष जी, मंत्री जी, आप इससे परिचित हैं । इन सबके ऊपर आपने ध्यान दिया है। आप वहां पर कुछ व्यवस्था करने के बारे में सोच रहे हैं । लेकिन मैं आपके माध्यम से सदन को यह बताना चाहूंगा कि इस संबंध में, इस इको जोन कानून की वजह से इतनी खींच-तान हो रही है कि वहां के लोग अगर खेती करना चाहते हैं तो वे खेती भी ठीक ढंग से नहीं कर सकते हैं क्योंकि खेती करने से पहले, उसमें हल डालने से पहले, उसे जलाना पड़ता है । इसे राब जलाना कहते हैं । इसे जलाने पर भी कानून

5.00 p.m.

के अंतर्गत आपत्ति है । हिंदू संस्कृति के अनुसार आदमी के मरने के बाद उसका दहन किया जाता है लेकिन दहन करने के लिए भी वहां पर आपत्ति निर्मित हो रही है कि यह नहीं करना है। वहां पर दो बड़ी इंडस्ट्रियल इस्टेट्स हैं । उस क्षेत्र मे करीब पांच सौ एक किलोमीटर एरिया उसके अंतर्गत दिया गया है । इसमें दो इंडस्ट्रियल इस्टेट्स आ गई हैं, तीन बड़ी म्युनिसिपल कौंसिल आ गई हैं । ऐसे सभी क्षेत्रों में जब कोई म्युनिसिपल सर्विस देनी है, म्युनिसिपिलिटी का प्लान पास करना है, किसी घर में वाटर टैंक देना है, किसी हाउस की रिपेयरिंग करनी है तो इसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि केंद्रीय सरकार कमेटी एपोइन्ट करेगी । कमेटी एपोइन्ट होने के बाद जब तक कमेटी की परमिशन नहीं मिलेगी, तब तक कुछ नहीं किया जा सकेगा । वहां के लोगों को इससे बड़ी मुश्किल हो रही है । यह फंक्शनिंग लोकल सैल्फ गवर्नमेंट की नहीं हो सकती है । लोगों को असुविधा हो रही है । उपसभाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान खींचना चाहता हूं कि जहां तक कमेटी के रिव्यू करने की बात है, शायद मंत्री जी बता सकेंगे और हम भी चाहेंगे कि इस कमेटी को महाराष्ट्र गवर्नमेंट तुरंत करे । जिस प्रकार से इको जोन के बारे में है उसी प्रकार से ढहाणु इको जोन की प्रॉब्लम महाराष्ट्र में निर्मित हुई थी । इसे ग्यारह साल हो गए हैं । ग्यारह-बारह साल होने के बाद भी आज की तारीख तक ढहाणु इको जोन कमेटी की आज तक फॉर्मेशन नहीं हुई है । वहां का सारा कारोबार ठप्प पड़ा है । यही हालत माथेरान की भी होगी । आप इस पर सोचें ।

जो पांच सौ किलोमीटर की बात है, आप उसे मत कीजिए । हम इस पर सहयोग देने के लिए तैयार हैं । एक सौ सत्रह किलोमीटर का जो फोरेस्ट ज़ोन है, उसे फोरेस्ट ज़ोन ही लिखिए लेकिन इसमें से प्राइवेट फोरेस्ट ज़ोन का जो नया तरीका निकाला है, वह प्राइवेट फोरेस्ट मत लीजिए । एक सौ सत्रह किलोमीटर का जो फोरेस्ट है वह गवर्नमेंट का फोरेस्ट है, इसके लिए जो भी कानून है, उसे पूरा कीजिए । धन्यवाद ।

THE VICE CHAIRMAN (SHRI SANTOSH BAGRODIA): Now, I would like to take the sense of the House. We have three more speakers. So, should we finish the discussion on the Bill today itself?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT AND POVERTY ALLEVIATION (SHRI O.RAJAGOPAL): Yes, Sir, we can complete it today.

SHRI PRANAB MUKHERJEE (West Bengal) : Sir, this should be completed today ...*(interruptions)*... Let this Bill be over and then we can take up the statement of the Minister. Because, the procedure is that only when the business of the House is over, before the House rises, the statement is made.

THE VICE CHAIRMAN (SHRI SANTOSH BAGRODIA): Yes. Mr. Manoj Bhattacharya, you have one minute.

SHRI MANOJ BHATTACHARYA (West Bengal): Mr. Vice-Chairman, Sir, I would first read out a paragraph that I have written down, for the information of the hon. Minister.

The indigenous peoples of the world are the exclusive guardians of large wilderness habitats that modern societies depend on, say, plants, animals, climate and water. Their homelands include more endangered plant and animal species than all the world's nature reserves. Their knowledge of nature goes beyond our scientific understanding. Their life-styles are models for practice of conservation and consumption of sustainable biological resources. The earth's biological diversity depends on the cultural diversity of the indigenous people. Along with their disappearance or extinction, thousands of species of flora, fauna, animals and plants also disappear for good.

Sir, I would like to say that -- I am not anti-development nor am I a development fanatic -- in the post-Independence India, because of construction of dams, industries and mining, the conservative estimate is that more than 30 million of indigenous people became destitute, and a number of them still remain as destitute. About a month or two back, when I was in Himachal Pradesh, the hon. Chief Minister of Himachal Pradesh was referring to us, in an informal discussion, that even after 50 years of construction of the Bhakra Nangal Dam, some 59 families, which became destitute, have still not been rehabilitated. Well; I am not going to discuss about the rehabilitation of those poor people, the poor tribals. There is nobody to speak for them. Even Parliament does not enact any law or do things in the right earnest. I would like to say that they are the real guardians of flora, fauna, animals, plants and different species. But their interests are not taken care of. Their interests are not protected. Their culture is not protected. Their civilisation is not protected. We are trying to bring in some Bills or amend some Bills. But one thing which is clear is that there is an ominous poison at the root of the sapling, and we are trying to sprinkle water from the top and we think that the sapling would grow into a big tree. It will not happen just like that. It is a very serious issue. We have got to address this issue with all seriousness, with all sincerity. And, this Bill, if at all it is intended to really mean something,

should aim at protection of wildlife and at protection of flora and fauna of this country of which we are very rich in the world. We are rich in bio-diversity; it is a common knowledge to everybody. But, perhaps, we are not serious because we do not have any account of what we have and what we do not have. We do not know how many species of animals we have; like, for instance, how many species of elephants we have. We also do not know how many birds we have. We do not know what is the ornithological explanation of those birds. We do not have any knowledge about all these things. We have not indexed them; I had referred to it earlier as well. A number of times I had mentioned in this House that we do not have indexing of the plants; leave alone other things. We do not even know what are the plants that we have. Many of our plants, many of our herbs, have been pirated out of our country, by the people who are practising narco terrorism; even some of the NGOs are on the job. Many of the foreign agencies are also interested in this.

However, Sir, I will come back to the indigenous population and the problems of maintaining wildlife through protection and advancement of indigenous population. For thousands of years, indigenous civilisation developed in harmony with the natural environment. This is, perhaps, within the knowledge of the hon. Minister. And colonisation has really upset the natural and social balance, and the destructive activities of the so-called civilised people are a harsh blow to nature. I would like to ask here: Has the Government got the real courage to fight against the whims of the industrialists? I can give umpteen examples here. Even the cement industries, located two miles away from the reserve forests, cause damage to these areas. The dust really destroys the forests, The animal life gets destroyed. Flora and fauna get disturbed.

I would just like to put it on record that in Meghalaya - it has been reported - there is a threat from the proposed cement industry near the Balbakharam National Park. A sanctuary magazine reports that there is a proposal by the Associated Cement corporation to set up a cement plant near Balbakharam National Park (*Time-bell*) I will just cite some examples and conclude. Look at the Garo Hills of Meghalaya cement plants and the resources, limestone mining activities in and around protected areas are now no longer an unprecedented phenomenon in India. In 1991, the Ambuja Cement company of Gujarat lobbied with the Government of Himachal Pradesh to denotify the Dalarghat Sanctuary. I had been to

Himachal Pradesh and I have seen that a huge cement factory has been established at Dalarghat by Ambujas. In order to set up a cement plant in that area, they had denotified the forest area. There are unpteen examples by which we can speak incessantly, we can place many things on record that these industries for the cause of industry, for the cause of making profit, these jungles, forests are being denotifed. Some area are being denotified as forests and by denotifying these new areas as forests, some of the tribal life is being disturbed. So, Sir, it is a vicious cycle. I welcome this amendment Bili. But the Minister, the Department and the Government must be conscious about this. The Government must act in the right earnest. We want to know whether they are really sincere about this or not. I would also like to point out one thing with regard to the use of pesticides. The indiscriminate use of pesticides, particularly endosulphur like things about which we know. There are many other pesticides, many chemicals that are affecting the animal life, species, varieties of plants, flora and fauna in a very, very big way. Sir, what is the provision which has been incorporated in this Bill, to prevent the use of pesticides which may affect the pristine localities as well? There are umpteen examples. I can speak for hours on that. But unfortunately the time at my disposal is too short, so, I cannot go on incessantly on this. And sometimes, it appears that this Bill is much ado about nothing. You will not do anything. In 1972, there was a Bill. But nothing has been done up till now. The things went unabated, simply, at the mercy of the industrialists, simple, at the mercy of those so-called civilised people and those so-called colonising people. (*Time-bell*) Sir, I would just conclude. Thank you, very much for reminding me. I am aware that I am exceeding my time. The Bill is really a big one. I thought of speaking on this ...(*Interruptions*)... I am just concluding. Sir, that is also not enough, in fact. first of all, the hon. Minister must ensure one thing. Indexing and data have to be updated, about all the species of flora and fauna including genera, varieties and species. And so is the plight of the animals that we have. What are the animals that we have? Which birds do we have? And what are the other things that we have in this country of ours? This must be indexed, properly notified and, even at the same time, it must be internationally patented. some of the animals which are exclusively our animals, those must be patented and those patents must be on the genera. At the same time the species must also be patented so that we can have a claim on them. And Sir, I must say that protection of the wildlife should not only be confined to India, it cannot be done only by looking at the Indian soil, but from the surrounding countries there are

many, many animals which keep on migrating from Cambodia to Thailand, Thailand to Burma and from Burma to India, particularly, to our North-Eastern Region. These aspect should also be looked into. Then in the advent of the terrorist activities,- an hon. Member was also referring to this about the use of arms and ammunitions, this is also disturbing. So, it requires a complete and comprehensive approach. A sectional or a tubular view on this situation will not help us. So, Sir, I would request the Minister to take a complete view of the situation, a very comprehensive view of the situation. I will just refer to another example and conclude. Sir, some two years back, presumably on 24th April, 2000 I made a Special Mention regarding the factories located in Bangladesh which were polluting the river waters, disturbing the flora and fauna and the marine life. The hon. Minister, Mr. Baalu wrote back to me, some three months afterwards. But no action has been taken up till now. What is the punishment for that? I referred to the Government of India. I raised this point here through a Special Mention that factories located in Bangladesh, on the border areas in Kuchtia in Darshana. I will once again specify in Darshana the industrial effluents were passing through the rivers of Churni, Mathabhanga etc. Those effluents are destroying the marine life.

Those are disturbing the marine life and some species might be endangered there. Some flora and fauna must have been endangered there. No action is being taken. Nothing has been done on the Special Mention. Sir, if the Government is so indifferent, if the Government is like that, what can this Bill do? This amendment, as such, is welcome; but the Government must be proactive and the Government must work in right earnest. I hope, after passing this Bill, the Government would be active, would hotly pursue the issues in right earnest and do something concrete for the protection of wildlife.

With these words, I conclude. Thank you.

श्री शंकर राय चौधरी (पश्चिमी बंगाल): मान्यवर, मैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन बिल पर कुछ कहने से पहले चन्द्रकला जी का, जो अभी यहां नहीं हैं, आभार व्यक्त करना चाहता हूं । उन्होंने एक कविता सुनायी थी और नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक में रह रहे बंदरों का जिक्र किया था । मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि यहां जो बंदर हैं, ये भूतपूर्व सरकारी मुलाज़िमों की आत्माएं हैं । उन को संरक्षण देना बहुत जरूरी है । अब मुझे नहीं पता आप यह कार्य कैसे करेंगे ? ...**(व्यवधान)**...But the crux of the issue is wildlife protection, as stated in the Statement of Objects and Reasons of the Bill itself. You can't have wildlife

protection that incorporates not only protection of the wildlife but also the forest. The biggest problem that any wildlife protection programme in this country, as also in other countries, faces is the problem of protecting wildlife, particularly from illegal poachers, who, today, as you know, are extremely well-armed. The arms include, as Mr. Manoj Bhattacharya said, automatic weapons. And, to protect the wildlife against this type of attack--other countries too are facing this problem--Kenya and Nepal have deployed their army; their regular army is deployed in wildlife protection. So, my suggestion to the Minister is this. This suggestion was made earlier also but was not taken up. I think it is about time that his Department considered creating territorial battalions for wildlife protection. Just as there are territorial battalions for ecological development, the time has come in this country--if you want to really seriously protect our wildlife, protect our forests--to consider creation of territorial battalions for wildlife protection. They have functioned very satisfactorily in the ecological role. I am sure, if the Department comes forward, it can make it a serious issue and seriously protect its programmes of carrying out the wildlife protection. In this connection, I think, the worst threatened sanctuaries are those in the East and the North-East of India, where there are rampant insurgencies. Forest products and wildlife products have a huge international market. By wildlife products, I mean, tiger bones, tiger teeth, tiger hearts, ivory, crocodile teeth--these have got a huge international market in South East Asia, particularly in Bangkok, Singapore, Hong Kong, where it is believed that these are supposed to have certain medicinal/aphrodisiac properties. And, there is reason to believe, as a matter of fact there is definite information, that in addition to narco-terrorism, smuggling of narcotics, there is a big trade by the insurgents in killing and smuggling wildlife products out of the country, where they fetch very high prices. Two wildlife sanctuaries which are particularly threatened in this regard are Kaziranga and Bakshdwar, where wildlife is getting, more or less, wiped out. I am very happy to see that in the Wildlife Protection Board, you have included the Chief of Army Staff. Really, the army, today, in the North East has become *de facto* the largest wildlife protection force in the country.

I do think there is no other answer. You cannot deploy Army for this purpose. But we should seriously consider going the way Nepal and Kenya to deploy these wildlife protection battalions. I would give a small example. In Orissa, I think, in one of the reserved forests, they deployed a battalion of the CRPF and the results were astonishing, in terms of

protection of forests from illegal timber as well as protection of wildlife. But, of course, I think that CRPF battalion has been moved out. The Government of Orissa tried to do its best to stop that move, but it did not take place. As far as local population is concerned, they have to be totally involved in the protection of the wildlife. But, Sir, it is also a fact that it is the local population which is totally intimidated by these gangs of poachers. Unless local population as well the wildlife are protected, the wildlife protection programmes will not succeed.

Another problem which the wildlife faces in the riverine reserved forests in the North-East and the Kaziranga in particular is that when the rivers which run through these sanctuaries come into flood and the total reserved forest, the reserved sanctuary is totally flooded, the wildlife is driven out by the flood and waters and they then perforce cross over to the National Highway, to go into the higher ground where they are hunted. So, these are the various problems which the hon. Minister will have to look into and see that this very good Bill is effective in terms of its actual implementation. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANTOSH BAGRODIA): Mr. Minister, before I call the last speaker, I have one point to make. ...(Interruptions).. You are the last but one. ...*(Interruptions)*... What the Member from the Congress Party mentioned was about the Shatoosh. ...(Interruptions).. He is here. ...*(Interruptions)*... They do not kill the animal to take out the wool. There is a national asset worth millions and millions of dollars or rupees. What do you do with it? ....*(Interruptions)*... What do you do about it? ...*(Interruptions)*... Some policy has to be framed in this regard or, you can announce that everything should be destroyed instead of inspectors threatening the Shetoosh Shawl owners. So, do something about it. I think that will be a good idea.

SHRI H.K. JAVARE GOWDA (Karanataka): Mr. Vice-Chairman, Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak on this Bill. Sir, I welcome this Wildlife Protection (Amendment) Bill, 2002. The intention of the Bill is very clear to protect the wildlife and the medicinal plants. But the thing is that under the Definition clause --earlier this clause was not there -- fish has been included in this Amendment Bill. But the variety of the fish has not been fully described because fishing is a normal course. But the matter may be taken up by the executing agency. Therefore, I need its

interpretation of this clause relating to fish. Fish is defined. But there is a variety of fish. I would like to know which are those fish. An officer can book any person under this provision. The second point that I appreciate in this Bill is that to contain these activities the imprisonment term has been extended from one to seven years. It is good because it is a deterrent provision. In the meantime, I have an apprehension regarding the encroachers on the declared national parks and the sanctuaries. Sir, the decision of the Supreme Court, the Central Government -- as it appears -- has to give a direction to evict the persons who have encroached on the land unauthorisedly for cultivation in the various parts of the country. Now, one thing has to be clarified in this regard. There may be persons in the adjoining villages who 50 years before encroached half an acre of land or one or two acres of land and they are getting their livelihood out of this land. There is no other source of income. Sir, in 1980, the Forest Conservation Act was passed. They have occupied the land prior to the passing of this legislation. But, they have not been regularised. In these circumstances, I have a fear, under the power that we are going to give to sanctuaries or parks, they would be evicted or thrown out and they would be on the streets. For that also, some consideration has to be given to those people.

The next point, I feel, is, the Central Government and the State Governments are not at all acting in accordance with the tone and tenor of the Forest Act. What I mean to say is this. Today, we heard the killing of Nagappa. Sir, basically, Veerappan is a poacher. He has killed 2,000 elephants and smuggling sandalwood. And, what is the action of the Central Government and the State Governments? When you pass this Bill, Veerappan and persons of his kind, laugh at Parliament and at the legislation. Why should we pass this Bill? Unless the Central Government or the State Governments come forward with men and machinery, the intention of the legislation will not come into effect. Otherwise, Veerappan is hiding for the past twenty to twenty-five years and he would hide for some more decades within that limited area. Sir, the Central Government says, "If the State Governments requires, we will send commandoes or paramilitary forces, this and that." There is no co-operation between the two State Governments. Why are we passing this Bill? For what purpose are we passing this? To pick up some innocent persons? The influential and white-collared people, who are smugglers and who have links with bureaucrats, politicians and with others, escape through one way or the

other. An hon. Member has mentioned that a fourteen-foot long tiger is not visible for the past one year. No one is worried about it. Under these circumstances, I would like to put a very simple question to the hon. Minister. Even now, under the proposed Bill and after passing of this Bill, will the Central Government kind enough to use its men and machinery to nab Veerappan because this is a fit case to take action against him? I need an assurance from the hon. Minister today itself whether he is daring enough to announce it in this House that the Central Government will come forward to assist, both Tamil Nadu and Karnataka to nab Veerappan by using paramilitary or military force? Otherwise, you don't press for passing of this legislation. Thank you.

प्रो0 रामबक्ष सिंह वर्मा (उत्तर प्रदेश): मान्यवर उपसभाध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद। महोदय, मैंने जैसा कि कहा था कि मैं आधा मिनट लूंगा तो मैं आधे मिनट में ही अपनी बात समाप्त करने की कोशिश करूंगा ।

मान्यवर, इस बिल में जो प्रावधान हैं, मैं उनसे सहमत हूं और आदरणीय सदस्यों ने जिन भावनाओं को व्यक्त किया है, मैं भी उनसे अपने आपको संबद्ध करता हूं । वन्य जीव और वनस्पतियों को संरक्षण मिलना चाहिए, मैं भी इस भावना का हूं, लेकिन, मान्यवर, मैं एक वन्य जीव और एक वनस्पति के बारे में उल्लेख करना चाहता हूं । एक वन्य जीव है जिसका नाम है नील गाय । नील गाय नाम का यह जो वन्य जीव है, दूध इससे मिलता नहीं है, बछड़ा इसका काम में आता नही है, गोबर इसका किसी काम का है नहीं, खाल इसकी कीमती है नहीं और गाय की किसी भी परिभाषा मे यह वन्य जीव ठहरता नहीं है । मान्यवर, इससे इस देश के करोड़ो किसान प्रभावित हैं । लाखो एकड़ भूमि की फसल ये नील गाय चौपट कर देते हैं और रखवाले किसानो को भी अवसर पाकर मार डालते हैं । इस वन्य जीव का कोई भी उपयोग नहीं है । इसलिए मैं चाहता हूं कि भारत सरकार और प्रदेश सरकारें प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रानिक मीडिया के द्वारा इस प्रकार का प्रचार और प्रसार करें कि अब नील गाय के मारने पर कोई प्रतिबंध नही है । आज अगर कोई किसान इसे मार डालता है तो उस पर मुकदमा कायम होता है, उसको जेल भेज दिया जाता है । तो सरकार को इस पर विचार करना चाहिए और नील गायो के मारने पर जो प्रतिबंध है, यह समाप्त होना चाहिए और इसका प्रचार तथा प्रसार भी होना चाहिए ।

मान्यवर, इसी तरह से एक वनस्पति है जिसे जाली फ्लोरा कहते हैं, देहात मे, गांव में हमारे लोग इसे जंगली बबूल कहते हैं । आजकल वन-विभाग के लोग इस पोधे को बहुत लगा रहे हैं और नहरो और रजबहो के किनारे भी इसे रोपा जाता है जिससे कि पानी के बहाव के साथ ये उत्पन्न हो जाते हैं । यह वनस्पति नहरो और रजबहो के पानी को अवरूद्ध कर देती है । अगर उस क्षेत्र का कोई किसान इसे काटता है तो उस पर मुकदमा दायर कर दिया जाता है और उसे जेल मे भेज दिया जाता है । इस संबंध मे मेरा सरकार से अनुरोध है कि जाली फ्लोरा

अगर नहर या रजबहे पर है, तो उसको काटने पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए जिससे किसानों की भूमि तक पानी पहुंच सके ।

मान्यवर, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ।

SHRI T.R. BAALU: Mr. Vice-Chairman, Sir, first of all, I thank all the ten Members who have participated in the discussion on this Amendment Bill, pertaining to Wild Life Protection Act, 1972. Sir, this Bill had been amended many times. It has undergone rivision in 1982, 1986, 1991 and 1993.

First, I would like to respond to the clarifications sought by Shri K. Rama Mohana Rao, who had very vociferously deliberated that there was a delay on the part of the Government in bringing such an amendment. He said that it took more than seven years to bring such an amendment. Yes, I agree that it took more than seven years. In 1995, an Inter-State Committee was constituted by the Central Government to have comprehensive amendments. The Committee was represented by the Members of the Central Government, the State Government, NGO institutions, and experts. In 1992, the report of the Committee was submitted to the Indian Board for Wild Life. In 1997, the Standing Committee of the Indian Board for Wild Life suggested some amendments. In 1998, with the remarks of the Standing Committee, it was circulated to the States. In 1999, first draft was prepared by the Ministry, and was sent to the Law Department. The Draft has been placed before the House, and now it is the property of the House. So, I would request the House to kindly condone the delay.

Now, I come to the points raised by Mr. Gowda. He asked why the Central Government could not protect Mr. Nagappa from the hands of brigand, Veerappan. On that, some of my comrades had clapped, and had even congratulated Mr. Gowda. ...*(Interruptions)*... My friends forgot that law and order is a subject of the States. But, since I am here, they are there to clap and congratulate him.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (Kerala): The hon. Minister had several times assured in this House that the Central Government was ready to send a team to nab Veerappan. That is why he had raised it. ...*(Interruptions)*...

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM (Uttaranchal) : No. I would like to correct the hon. Member. The Home Minister had said that if they wanted any assistance from the Central Government, the Central Government would provide assistance.

SHRI MANOJ BHATTACHARYA: Sir, whether the Central Government...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANTOSH BAGRODIA): Are you yielding, Mr. Minister?

SHRI T.R. BAALU: No, Sir. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANTOSH BAGRODIA): Please don't disturb him, Mr. Bhattacharya. ...*(Interruptions)*... Let him speak. ...*(Interruptions)*... You can't disturb him. Let him speak. ...*(Interruptions)*...

SHRI MANOJ BHATTACHARYA: Sir, it is a very serious matter. ...*(Interruptions)*...

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: Sir, Veerappan has killed Mr. Nagappa, but the Government has not even come forward with a statement. ...*(Interruptions)*...

SHRI T.R. BAALU: Sir, as a Minister, who is holding the portfolio of Environment and Forests, ...*(Interruptions)*...

SHRIMATI PREMA CARIAPPA (Karnataka) : ...and it is not possible for our Government. We need Central assistance too. ...*(Interruptions)*...

SHRI T.R. BAALU: Sir, I am holding the portfolio of Environment and Forests. I can only reply to the queries pertaining to my portfolio and the present Bill. ...*(Interruptions)*... At the same time, ...*(Interruptions)*...

SHRI NILOTPAL BASU (West Bengal) : You don't recognise Veerappan as a part of wild life. ...*(Interruptions)*...

SHRI T.R. BAALU: Sir, it is purely a State subject. Law and order has to be maintained by the States. Since the matter is not related to this

subject...(*Interruptions*)... No ; it is not at all relevant to this particular Bill. ...(*Interruptions*)... It is not relevant to this particular Bill. ...(*Interruptions*)... My dear comrades, you should appreciate this fact. ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANTOSH BAGRODIA): Listen, everybody has a right to have his own opinion. ...(*Interruptions*)... Let him have his opinion. ...(*Interruptions*)... He is expressing his opinion, you cannot force him to change his opinion. ...(*Interruptions*)... That is his opinion; so, let us listen to his opinion ...(*Interruptions*)... Mr. Minister, please continue. ...(*Interruptions*)...

SHRI T.R. BAALU : Mr. Rama Mohana Rao wanted to know whether aquatic animals come within the purview of the Wildlife Act or not. ...(*Interruptions*)... Yes; it is a part and parcel of the proposed amendments to the Wildlife Act. Fishes are well within the purview of the Bill.

Shri Abrar Ahmed mentioned many things pertaining to tigers, the Ranthambore Sanctuary, the problems of the forest people, etc. As far as eco-development is concerned, the Tenth Plan allocation is Rs.560 crores. So, we would able to achieve many things out of this allocation. The Ninth Plan allocation was very meagre, but the Tenth Plan allocation is Rs.560 crores. So, we would, definitely, be able to take care of the development activities in the villages. As far as the Ranthambore National Sanctuary is concerned, the Current Year Plan allocation is Rs.5.35 crores. The hon. member mentioned about the lack of development activities in the villages surrounding the National Park.

As far as the Joint Forest Management activities are concerned, the villagers are part of the committees. Around 65,000 village committees have been set up. These committees take care of 14 million hectares of forest land. Definitely, this suggestion regarding the Joint Forest Management as well as development activities in the villages would be taken care of. He had made some complaint about the Ranthambore Sanctuary, in the Consultative Committee meeting held on 4.12.02. I have already requested him to go along with my officers and inspect that Sanctuary, personally, and get the report. Sir, he is from that area. But without your concurrence, - I hope you won't mind it - I requested him to go and visit that Sanctuary and get an Inspection Report so that I can redress the grievances.

Mr. Kripal Parmar mentioned about the protection of crops in forests. Section 11 of the Wildlife Act permits the State Governments to deal with wild animals which damage crops and human life. The man-animal conflict will be dealt with by Section 11. If there is any man-animal conflict, and, because of that, if any damage is there, the State Government can send a proposal, and, definitely, we will see to it that the damages are compensated.

Shrimati Chandra Kala Pandey raised a point about monkey menace. I could not hear her properly because the interpretation was not there. But, the Hon'ble member who is a former defence person properly mentioned that monkeys are an inspiration for the ex-employees of the Defence Department. ...*(Interruptions)*... I think the monkeys ...*(Interruptions)*... We have a lot of concern for monkeys because they are our forefathers. ...*(Interruptions)*... Almost 200 monkeys have been captured in and around Delhi, and they will be sent to the jungles of different States. ...*(Interruptions)*... As far as Project Elephant is concerned, we have allocated ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANTOSH BAGRODIA): Are monkeys part of your problem?

SHRI T.R. BAALU : No Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANTOSH BAGRODIA): Then, why are you replying?

SHRI T.R. BAALU: Sir, you allowed them to speak, that is why I am replying.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANTOSH BAGRODIA): You need not reply to everything that is mentioned here.

SHRI T.R. BAALU : Sir, I know what you are saying, but you have allowed them to speak about it. So, it is part and parcel of the debate.

Shrimati Saroj Dubey said about poaching of rhinos, and preventing it by involving local tribals. There is a provision in the Bill which provides participation in management at the local level. They can become members

of the Advisory Committee of the Sanctuaries and also of the Community Reserve Management Committee. The JFM Committees are also available in all the 27 States. I think, this problem can be taken care of by them.

Shri Satish Pradhan deliberated on the problem of leopards in Maharashtra, Matheran eco-zone and diversion of forest land for developmental purposes. As far as forest clearance is concerned, in 1980, as per the Forest Act, we approved 1185 projects and 75,650 hectares of area was diverted. As far as the problem of leopards is concerned, there is already a provision to capture and kill the problematic animals. States can do that and Chief Wild Life Warden has got rights to deal with this. As far as Matheran eco-zone is concerned, on 11th and 12th, the officials from my Ministry went there and made an inspection. I am waiting for the reports. It will be taken care of after due deliberations.

Shri Manoj Bhattacharya deliberated on industrial pollution near the sanctuaries. Sir, in this connection I would say that before clearing any project, an impact assessment is made. This problem is given due consideration while making the impact assessment. The Zoological Survey of India and the Botanical Survey of India, in Kolkata, are indexing the plants, plant varieties and *flora* and *fauna*. About 81,000 animal species have been identified, and 46,000 plant varieties have also been identified ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANTOSH BAGRODIA): Let him complete.

SHRI T.R. BAALU: Sir, I think, I have replied to almost all the queries.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANTOSH BAGRODIA):But you have to reply...

SHRI T.R. BAALU: Yes, Sir. I will definitely reply to the question put by the Chair.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANTOSH BAGRODIA): No, I did not put any question. Dr. Abrar Ahmed had put one question.

SHRI T.R. BAALU: Okay. For the sake of this august House, I could only say that this Bill has taken care of that particular aspect also. Sir, shahtoosh shawl - I think, my friend has deliberated upon this - is a very precious handicraft which is made up of the wool we get from an animal which lives in Himalayan areas..

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANTOSH BAGRODIA): It is Chiru.

SHRI T.R. BAALU: Yes, it is Chiru. We fear that manufacturers of that particular shahtoosh shawl, are killing chirus. The life of this animal is in danger. That is why we have an apprehension about it. But many of the VIPs -- I don't want to say of this side or that side - especially, the V VIPs, are having shahtoosh shawls in their possession. I don't want to spoil those shahtoosh shawls. We are going to make a provision that shahtoosh shawls should be registered under the Wildlife Act. It should bear a mark of some kind. They can possess it, but they cannot sell it to anybody. It can be inherited by their sons, daughters or relatives. They can possess it. But if they try to sell it, they will be booked under the relevant laws which we are going to adopt. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANTOSH BAGRODIA):The question is:

"That the Bill further to amend the Wild Life (Protection) Act, 1972, be taken into consideration."

The motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANTOSH BAGRODIA): Now, we shall take up the clause-by-clause consideration of the Bill.

Clauses 2 to 38 were added to the Bill.
Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI T.R. BAALU: Sir, I beg to move :

"That the Bill be passed."

The question was put and the motion was adopted.